स्कूल शिक्षा और साक्षरता के लिए डेटा साझाकरण (शेयरिंग) नीति

संस्करण संख्या:1.0 **सितम्बर 2020**

यह दस्तावेज विभिन्न प्रकार के डेटा अनुरोधों के लिए डेटा शेयरिंग नीति और विभिन डेटा शेयरिंग तौर-तरीकों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। वर्तमान में, यूडाइज+, पीजीआई, एनएएस आदि जैसे अनुप्रयोगों में हितधारकों (शिक्षकों, छात्रों, स्कूल प्रशासन, आदि) से संबंधित स्कूल शिक्षा डेटा

एनआईसी National Informatics Centre

द्वारा निर्मित:

स्कूल शिक्षा सूचना प्रभाग, राष्ट्रीय सूचना केंद्र,
इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

के लिए निर्मित:

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

विषय तालिका

1. प्रस्तावना 2
   1.1 सिंहावलोकन 2
   1.2 डेटा सिंहावलोकन 2
   1.3 अध्यारोही स्थिति 3
2. डेटा शेयरिंग नीति की आवश्यकता 3
   2.1 वर्तमान स्थिति 4
   2.2 नीति की आवश्यकता 4
3. विषय क्षेत्र और प्रयोज्यता 5
4. डेटा श्रेणीकरण 5
   4.1 सेंसिटिव डेटा 6
   4.2 नॉन सेंसिटिव डेटा 7
5. उपभोक्ता और उद्देश्य श्रेणीकरण 8
   5.1 शिक्षा मंत्रालय और संबद्ध विभाग 8
   5.2 केंद्र, राज्य और स्वायत संगठन 8
   5.3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 8
   5.4 अनुसंधान संगठन/अनुसंधानकर्ता (एनजीओ, व्यक्तिगत आदि) 8
6. अनुरोध श्रेणीकरण और डेटा शेयरिंग के तौर तरीके 9
   6.1 अनुरोध श्रेणीकरण 9
   6.2 डेटा शेयरिंग तौर तरीके 9
   6.3 डेटा शेयरिंग मैट्रिक्स 10
7. निबंधन एवं शर्ते 11
   7.1 डेटा स्टोरेज और रिटेंशन 11
   7.2 पारस्परिक खंड 11
   7.3 डेटा निरूपण खंड 11
   7.4 डेटा मुद्रीकरण खंड 11
   7.5 अपवाद खंड 11
   7.6 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए विधि प्रतिरक्षा संबंधी घोषणाएँ 12
   7.7 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 1(2) 12
   7.8 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 12
8. शास्तियां और प्रतिपूर्ति 12
9. सरकारी कार्यों में कॉपीराइट की शर्तें 12
10. अनुलग्नक 13
   10.1 अनुलग्नक क: संस्थाओं के साथ डीओएसईएल के आईटी कनेक्टिविटी प्रोटोकाल 13
   10.2 अनुलग्नक ख: गोपनीयता या गैर-प्रकटीकरण करार 15
   10.3 अनुलग्नक ग: संक्षिप्तियां 15
   10.4 अनुलग्नक घ: (i) नमूना स्कूल रिपोर्ट कार्ड (शहरी) 16
   10.4 अनुलग्नक घ: (ii) नमूना स्कूल रिपोर्ट कार्ड (ग्रामीण) 17
   10.5 अनुलग्नक ड: डेटा गोपनीयता पर सरकारी उपभोक्ताओं से प्रमाण-पत्र 21
   10.6 अनुलग्नक च: गोपनीय डेटा के उचित और विधायी उपयोग पर निजी व्यक्तियों, अनुसंधानकर्ताओं, एनजीओ, कम्पनियों से प्रमाणपत्र 22
11. संदर्भ 23

1. प्रस्तावना

डेटा को सार्वभौमिक रूप से एक मूल्यावान संसाधन के रूप में जाना जाता है जिसे इस तरीके से अनुरक्षित रखा जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि इसकी क्षमता का प्रयोग बेहतर तरीके से हो। आज अधिकांश डेटा का इलेक्ट्रानिक रूप से रख-रखाव और आदानप्रदान किया जाता है, जिससे डेटा के उपयोग में आसानी हुई है। साथ ही, इसने इस तरह के विनिमय के लिए एक संरचित और सुरक्षित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता को बढाया है। भारत की राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) में अन्य बातों के साथ साथ बताया गया है कि जिन सिद्धांतों पर डेटा साझा करने और पहुंच की आवश्यकता होती है उनमें खुलापन, नम्यता, पारदर्शिता, बौद्धिक संपदा का संरक्षण, औपचारिक उत्तरदायित्व, व्यावसायिकता, अंतर-संचालनीयता, गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता, जवाबदेही, स्थिरता और गोपनीयता शामिल है। देश में विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निधि की लागत से सृजित डेटा की एक बडी मात्रा है और इस डेटा का उपयोग वैज्ञानिक, आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) में कहा है 'प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण की उपधारा (1) के खंड (ख) की आवश्यकताओं के अनुसार जनता को इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतरालों पर अपनी ओर से अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने का निरंतर प्रयास रहेगा ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का कम से कम सहारा लेना पडे।''

1.1 संगठन सिंहावलोकन

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) देश में स्कूल शिक्षा और साक्षरता के लिए उत्तरदायी है। यह इस विभाग के लिए भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली, 1961 में सूचीबद्ध मदों के संबंध में शैक्षिक अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है।

1.2 डेटा सिंहावलोकन

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से राष्ट्रीय डेटा केंद्र में एक अभिरक्षण क्षमता में अपनी आईटी प्रणाली में स्कूल शिक्षा पर समृद्ध डेटा रखता है। उपर्युक्त अनुप्रयोगों से संबंधित विभिन्न लेनदेन संबंधी डेटा संबंधित व्यावसायिक अनुप्रयोगों में होता है। आईटी अवसंरचना ने डीओएसईएल को आंतरिक और बाहरी दोनों एजेंसियों के डेटा अनुरोधों का समाधान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) का सृजन करने में सक्षम बनाया है। इसमें भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली पर डेटा शामिल है, जिसे आम तौर पर एकीकृत शिक्षा जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) के रूप में जाना जाता है।

यूडाइज+ प्रणाली, अपनी तरह की दुनिया में सबसे बड़ी में से एक है जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल, 9.5 मिलियन शिक्षक और विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से प्री-प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के 260 मिलियन से अधिक छात्र शामिल हैं। अधिकांशत: यूडाइज+ डेटा मद शिक्षा प्रणाली के तीन स्तंभ अर्थात स्कूल, शिक्षक और छात्र हैं। इसके अलावा, इसमें व्यय, स्कूल सुरक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि से संबंधित डेटा शामिल है। यूडाइज+ डेटा सरकारों, केंद्र और राज्य दोनों, को शैक्षिक नीति तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने, वार्षिक योजना और बजट तैयार करने, राष्ट्रीय शैक्षिक संकेतकों को प्राप्त करने, मीडिया और विभिन्न अनुसंधान आदि के लिए डेटा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। यह डेटा विशेष रूप से डिजाइन किए गए डेटा कैप्चर फार्मेटस (डीसीएफ) के माध्यम से एकत्र किए जाते है। यूडाइज+ की ऑनलाइन अपलोडिंग को 2018-19 से अनिवार्य कर दिया गया है। यूडाइज डेटा को शैक्षिक योजना और अनुसंधान के लिए बहुमूल्य संसाधन माना जाता है।

यूडाइज+ के अलावा, डीओएसईएल शिक्षा की प्रशासनिक प्रणाली, अधिगम परिणामों आदि से संबंधित विभिन्न संकेतों पर राज्यों से डेटा एकत्र करता है। जबकि इस नीति की प्रयोज्यता मुख्य रूप से यूडाइज+ प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) और राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण (एनएएस) और विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणें से संबंधित आंकडों पर केंद्रित हैं, जिनकी एनआईसी के सहयोग से डीओएसईएल द्वारा देखभाल की जाती है (क्योंकि अधिकांश डेटा एनआईसी के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से आदान-प्रदान किया जाता है), डीओएसईएल के अन्य डेटा के अन्य योजनाओं के लिए विशेष रूप से सार्वजनिक डोमेन में अन्य संवेदनशील वाणिज्यिक डेटा की उपलब्धता के बारे में सरोकारों के मद्देनजर इसकी प्रयोजयता भी निर्धारित की जानी चाहिए।

इन दस्तावेज के डेटा में निम्नलिखित डेटा घटक शामिल नहीं है इसलिए वे इस नीति दस्तावेज के दायरे से बाहर हैं:

1. डीओएसईएल का कोई गोपनीय डेटा घटक
2. डीओएसईएल या राज्य शैक्षिक विभाग के किसी भी कर्मचारी का सेवा संबंधी डेटा
3. डीओएसईएल के तहत विभिन्न योजनाओं का वार्षिक योजना और बजट संबंधी डेटा
4. डीओएसईएल के संबद्ध स्वायत्त संगठनों से संबंधित कोई भी डेटा

यह दस्तावेज भारत के भीतर और बाहर दोनों में अन्य सरकारी और निजी एजेंसियों, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के साथ डीओएसईएल द्वारा साझा करने की नीति को अभिशासित करता है।

1.3 अध्यारोही स्थिति

इस दस्तावेज में किसी प्रावधान के होते हुए भी, भारत सरकार विशेष रूप से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के पास इस दस्तावेज में उल्लिखित उपयोगकर्ता की किसी भी श्रेणी, बिना कोई कारण बताए या उसके बिना यूडाइज+ या अन्य डेटा साझा करने से इंकार करने, उपयोग पर रोक लगाने और/या उपयोग का निषेध करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. डेटा शेयरिंग नीति की आवश्कयता

डेटा साझा करने की योजना किसी भी संगठन के लिए एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए और पहले से तैयार डेटासेट के लिए जब पहुंच हेतु अनुरोध किया जाता है, तो हमेशा साझा करने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि डीओएसईएल के पास ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो एक शोध संस्कृति और अन्य क्षेत्र में डीओएसईएल साझा करने योग्य डेटा के समुचित शेयरिंग को समर्थित करें, जो सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान डेटा तक पहुंच को प्रोत्साहित करता है।

डेटा साझाकरण एक बहु-विषयक प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी, व्यावसायिक और विधायी महत्व शामिल हैं। एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के माध्यम से डेटा के बडे खंड और विविधता से होने वाले लाभ के बावजूद विश्वास और सुरक्षा डेटा साझा करने की प्रक्रिया की चिंता के प्रमुख क्षेत्र हैं।

डेटा साझाकरण नीति का उद्देश्य डेटा सहयोग की साझेदारी के लिए स्कूल शिक्षा संस्थानों का मार्गदर्शन करना और डेटा सहयोग और साझेदारी के लिए योजना बनाते समय महत्वपूर्ण विचारों को रेखांकित करना है।

यह नीति डेटा साझा करने में रूचि रखने वाले डेटा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं की संभावनाओं को ध्यान में रखेगी।

2.1 वर्तमान स्थिति

कई बाहरी एजेंसियों द्वारा मांग की गई है कि सार्वजनिक निधि के नियोजन से एकत्र किए जाने वाले डेटा का तर्कसंगत बहस, बेहतर निर्णय लेने, अनुसंधान कार्य, नीति निर्माण और नागरिक समाज आवश्यताओं की बैठक में उपयोग के लिए सभी को आसानी से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

वर्तमान में, भारत में कई आंतरिक और बाहरी एजेंसियों के साथ अलग-अलग तरीकों और मॉडल संबंधों के साथ डेटा साझा किया जा रहा है। वेब पोर्टल और एप्लिकेशन सर्वर डीओएसईएल के विभिन्न डेशबोर्ड एक पूर्व परिभाषित सार प्रारूप में सरकारी और निजी उपयोगकर्ताओं को लेन-देन डेटा प्रदान करने के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करते है। एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस से डेटा का उपयोग संसद के प्रश्नों का जवाब देने और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का जवाब देने के लिए किया जा रहा है।

2.2 नीति की आवश्यकता

डीओएसईएल एक अभिरक्षण क्षमता में शिक्षा प्रणाली से संबंधित डेटा रखता है। इसलिए जैसा उपर उल्लिखित है, डीओएसईएल को बाहरी उपयोगकर्ताओं से डेटा अनुरोध हाल के वर्षों में काफी बढ गए हैं। डेटा के दुरूपयोग और अनाधिकृत पहुंच से डेटा का रोकने के लिए डेटा सुरक्षा उपाय करने और डेटा साझाकरण प्रक्रिया व्यवस्थित करने की तत्काल आवश्यकता है। डेटा साझाकरण के लिए योजना किसी भी नए अध्ययन हेतु अभिन्न हिस्सा होना चाहिए और पहले से तैयार किए गए डेटासेट के लिए अनुरोध का उपयोग जब पहुंच के लिए अनुरोध किया जाता है, हमेशा साझा करने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

इसलिए डेटा साझाकरण नीति को सरकारी एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण, विश्लेषणात्मक परियोजनाएं शुरू करने, अनुसंधान गतिविधियों, शैक्षिक अध्ययन आदि जैसी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीओएसईएल और यूडाइज+ और अन्य सर्वेक्षण उपयोग की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य शोध संस्कृति में डीओएसईएल डाटा की समुचित शेरिंग के लिए यह सुनिश्चित करना है कि डीओएसईएल में में ऐसी प्रक्रिया हो जो सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित शोध डाटा तक पहुँच को प्रोत्साहित करे।

इसे इस डाटा के संभावित मूल्यों और लाभों के संबध में बढ़ती मांग के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

1. हितधारकों के लाभ के लिए सरकारी डाटा का अधिकतम उपयोग
2. सरकार में नीति निर्माण में सुधार
3. विभिन्न सरकारी निकायों/शोध एजेंसियों द्वारा शोध में सहायता
4. संभावित धोखाधड़ी का पता लगाना
5. गैर हस्तक्षेप प्रोफ़ाइलिंग

साथ ही, कुछ आदान-प्रदान जैसे यूडाइस प्लस और राज्यों के बीच होने वाले व्यवस्थित और भली=भांति स्थापित हैं परंतु अधिकांश अन्य तदर्थ प्रकृति के हैं और ऐसे डाटा को उपलब्ध करने के लिए अनुरोध पर कार्रवाई को व्यवस्थित तथा कड़ा बनाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त को देखते हुए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए डाटा शेयरिंग नीति तैयार करना और भारत में बाह्य इकाइयों के साथ डाटा के आदान=प्रदान के लिए प्रोटोकॉल बनाना अनिवार्य हो गया है। समय के साथ साथ भारत के बाहर इकाइयों के साथ डाटा के आदान-प्रदान के लिए भी इसी प्रकार का एक प्रोटोकॉल स्थापित किया जा सकता है।
डाटा शेयरिंग नीति में निम्नलिखित प्रमुख पहलू कवर किए जाएंगे:

1. विषय क्षेत्र और प्रयोज्यता
2. डाटा श्रेणीकरण
3. प्रयोक्ता और प्रयोजन श्रेणीकरण
4. अनुरोध श्रेणीकरण और डाटा शेयरिंग के तौर-तरीके
5. निबंधन और शर्तें

3. विषय क्षेत्र और प्रयोज्यता

यह दस्तावेज़ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, आंतरिक एजेंसियों जो शिक्षा मंत्रालय का एक भाग हैं, अन्य केंद्रीय और राज्य/संघशासित प्रदेश सरकारों तथा निजी व्यक्तियों और संगठनों सहित बाह्य एजेंसियों के बीच सूचना आदान-प्रदान को शासित करने वाली नीति निर्धारित की गई है।

भारत के बाहर बाह्य एजेंसियों के साथ विधिवत पहचाने गए डाटा को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन डाटा विनिमय के संबंध में, इसे एक अलग स्वत:स्पष्ट दस्तावेज़ डीओएसईएल आईटी कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल (अनुलग्नक-क) द्वारा शासित किया जाएगा।

इस नीति की प्रयोज्यता मुख्य रूप से यूडाइस+ और पीजीआई पर केन्द्रित है जिनकी देखरेख एनआईसी के सहयोग से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा की जाती है (क्योंकि अधिकांश डाटा एनआईसी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाता है)।
कोई ऐसा डाटा जो गोपनीय है, इस दस्तावेज़ के विषय क्षेत्र से बाहर है।

4. डाटा श्रेणीकरण

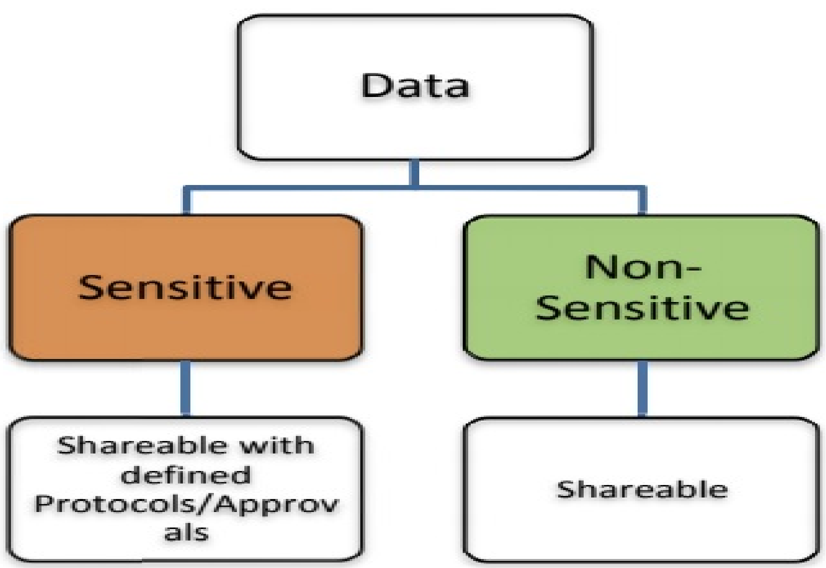

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पास उपलब्ध डाटा उसकी संवेदनशीलता, सूक्ष्मता, महत्व और स्वामित्व/डाटा सृजक के आधार पर साझा करने के लिए श्रेणीकृत किया जा सकता है। एनडीएसएपी में निर्धारित डाटा श्रेणीकरण के अनुरूप, डाटा को साझा करने योग्य और साझा न करने के योग्य के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। जैसा की उपर्युक्त चित्र से देखा जा सकता है कि डीओएसईएल डाटा घटकों को सेंसिटिव और नॉन-सेनसिटिव श्रेणीकृत किया गया है। सेनसिटिव श्रेणी में आने वाले डाटा को समान्यतया मामला दर मामला आधार पर प्राधिकृत अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए अनुरोधकर्ता और डीओएसईएल के बीच एक गैर प्रकटीकरण करार(अनुलग्नक ख) किया जाएगा। तथापि नियमित आवधिक अनुरोध के लिए अनुरोधकर्ता को डीओएसईएल के साथ डाटा के लिए केवल गैर प्रकटीकरण करार(अनुलग्नक ख) पर हस्ताक्षर करने होंगे।

4.1 सेंसिटिव डाटा

निम्नलिखित श्रेणियों का डाटा सेंसिटिव माना जाएगा:-

4.1.1 **सेंसिटिव व्यक्तिगत जानकारी** (एसपीआई)

किसी व्यक्ति के सेंसिटिव व्यक्तिगत डाटा या सूचना से आशय ऐसी व्यक्तिगत सूचना है जिसमें निम्नलिखित से संबंधित सूचना हो:

i. पासवर्ड ;
ii. वित्तीय सूचना जैसे बैंक खाता अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड; या
iii. अन्य भुगतान लिखत विवरण;
iv. शारीरिक, फिजीओलॉजिकल और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति;
v. सेक्सुयल ओरिएंटेशन;
vi. मेडिकल रेकॉर्ड और इतिहास;
vii. बायोमेट्रिक सूचना आदि।

4.1.2 व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई)

व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) कोई भी डेटा है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। आधार नंबर, जन्म तिथि, नाम, मेलिंग या ईमेल पता और फोन नंबर को आमतौर पर पीआईआई माना जाता है, लेकिन प्रौद्योगिकी ने पीआईआई के दायरे का विस्तार किया है। इसमें एक आईपी एड्रेस, लॉगिन आईडी, सोशल मीडिया पोस्ट या डिजिटल इमेज शामिल हो सकते हैं। जियोलोकेशन, बायोमेट्रिक और व्यवहार डेटा को भी पीआईआई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

4.1.3 व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी (सीएसआई)

यदि डेटा से छेड़छाड़ की जाती है, तो यह एक व्यक्ति इकाई जैसे पे स्लिप, खाता संख्या आदि के लिए आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है, इसे संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

4.1.4 संवेदनशील व्युत्पन्न डेटा (एसडीडी)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के आंतरिक उपकरणों और जोखिम विश्लेषण, जांच और खुफिया जानकारी एकत्र करने के भाग के रूप में प्रोफाइलिंग के लिए आंतरिक विश्लेषण के भाग के रूप में उत्पन्न डेटा को संवेदनशील माना जाएगा। इसमें योजना बनाने के लिए बजट डेटा, आंतरिक निगरानी डेटा, योजना निगरानी डेटा, वित्तीय डेटा आदि शामिल हैं।

4.1.5 प्रौद्योगिकी कॉन्फ़िगरेशन डेटा (टीसीडी)

डेटा, जिसका उपयोग आईटी सिस्टम के विन्यास के लिए किया जाता है, इस डोमेन के अंतर्गत आएगा। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस आदि के लिए कॉन्फ़िगरेशन डेटा शामिल है।

4.1.6 सिस्टम जनरेट किया गया डेटा (एसजीडी)

सिस्टम में किसी व्यक्ति की पहुंच/गतिविधि लॉग से संबंधित सूक्ष्म डेटा और ऐसे अन्य फोरेंसिक डेटा जो डीओएसईएल आई टी सिस्टम में उपलब्ध हैं।

4.1.7 बाहरी अनुपूरक डेटा (ईएसडी)

भारत में किसी अन्य सरकारी संगठन या किसी अन्य संस्था द्वारा मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से या जिसे डीओएसईएल ने निष्पादित किया है और जो संवेदनशील श्रेणी में आएगा।

4.2. नॉन सेंसिटिव डेटा

सेंसिटिव के रूप में परिभाषित डेटा के अलावा, जो कच्चे डेटा या अत्यधिक संक्षिप्त या समेकित किए जाते हैं, व्यक्तिगत एकत्र किए गए क्षेत्रों पर जानकारी के संयोजन द्वारा बनाए गए डेटा को नॉन सेंसिटिव माना जाएगा। सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले विभागों की संविधियों, लागू अन्य अधिनियमों, और/या नीतिगत निर्णय द्वारा अनिवार्य की गई या स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की या इससे संबद्ध कोई अन्य वेबसाइट इस श्रेणी में आते हैं।

भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार "निजता का अधिकार" एक मौलिक अधिकार है और व्यक्तिगत डेटा को सूचनात्मक गोपनीयता के आवश्यक पहलू के रूप में संरक्षित करना आवश्यक है। इसलिए, डेटा जो कि आरटीआई अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अनुसरण में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उसके संबंधित वेब साइटों जैसे यूडाइज

+, पीजीआई आदि पर रखा गया है और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "निजता का अधिकार" समर्थित अपने विभिन्न निर्णयों और लंबे समय के लिए किए गए समझौतों/व्यवहार के अनुसरण में स्कूल शिक्षा प्रणाली पर विभिन्न रिपोर्टों आदि को भी इस श्रेणी में रखा जाएगा।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, अपने विवेक से, किसी भी डेटा को खुले तौर पर प्रकाशित करने का निर्णय कर सकता है, जो उसे लगता है कि पारदर्शिता या सार्वजनिक हित में आवश्यक है। यूडाइज+ से इसका एक उदाहरण **अनुलग्नक-घ** (i) में दिया गया है: नमूना स्कूल रिपोर्ट कार्ड (शहरी) और **घ (ii):** नमूना स्कूल रिपोर्ट कार्ड (ग्रामीण) जो स्कूल-वार डेटा आइटम दिखाता है जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा । इससे न तो यूडाइज+ कोड का पता चलेगा और न ही स्कूल का नाम, बल्कि यूडाइज+ कोड के बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए एक छद्म कोड होगा। इसमें उपलब्ध सभी डेटा आइटम गैर-संवेदनशील डेटा के रूप में उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में उपलब्ध होंगे।

जैसा कि ऐसे गैर-संवेदनशील डेटा को साझा करने के तौर-तरीकों के संबंध में, जिसके लिए डोसेल द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाते हैं, मोडलिटीज़ को तदर्थ डेटा अनुरोधों की सर्विसिंग के लिए निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार, गैर-संवेदनशील डेटा के लिए अनुरोध करने वाली इकाई को वेब पोर्टल पर टेम्पलेट में डेटा अनुरोध की आवश्यकता होगी।

गैर-संवेदनशील डेटा का अनुरोध करने और उसे प्राप्त करने वाली कोई भी इकाई वाणिज्यिक लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं करेगी जिसमें उसके सहयोगी या सहायक संगठन शामिल हैं, भले ही उनके उपयोग के उद्देश्य के बावजूद इसके आगे यह सुनिश्चित करेगी कि डेटा किसी भी अन्य एजेंसी को हस्तांरित नहीं किया जाता है।

5. उपयोगकर्ता और प्रयोजन वर्गीकरण

नीति निम्नलिखित उपयोगकर्ता श्रेणियों के साथ डेटा साझाकरण समझौतों को कवर करेगी। मामले के आधार पर एक विशिष्ट अधिकृत अनुरोध पर संवेदनशील डेटा प्रदान किया जा सकता है और अनुरोधकर्ता और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बीच एक गैर-प्रकटीकरण समझौते के साथ समर्थित हो सकता है। डेटा के लिए नियमित/आवधिक अनुरोधों के लिए, अनुरोधकर्ता डोसेल के साथ इस तरह के डेटा के लिए गैर-प्रकटीकरण समझौते में प्रवेश करेगा।

5.1 शिक्षा मंत्रालय और सहयोगी विभाग

इस श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और संबंधित एजेंसियां/विभाग शामिल हैं। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), मिड डे मील योजना आदि जैसी योजनाओं की देखरेख करने वाले विभाग इस श्रेणी में आएंगे।

उद्देश्य - निगरानी, नीतिगत हस्तक्षेप, मंत्रालय डैशबोर्ड के निर्माण आदि के उद्देश्य से इन एजेंसियों के साथ डेटा साझा किया जा सकता है।

5.2 केंद्र सरकार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार और उनके अधीन स्वायत्त संगठन

इस श्रेणी में संसदीय समितियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग, आदि और अन्य केंद्रीय, राज्य और स्वायत्त एजेंसियों (एनसीईआरटी, सीबीएसई, इत्यादि) से डेटा मांगने वाली एजेंसियां या निकाय शामिल हैं।

उद्देश्य - डेटा, ऊपर दिए गए पैराग्राफ 4.2 में उल्लिखित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध गैर संवेदनशील डेटा के अलावा, संगठन के प्रमुख से लिखित अनुरोध पर और डोसेल में उचित अनुमोदन प्रक्रिया के बाद संगठनों के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए साझा किया जा सकता है। किसी भी एजेंसी द्वारा डेटा को अन्य एजेंसियों को साझा करना, जिन्होंने डोसेल से डेटा प्राप्त किया है, केवल डोसेल से पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ किया जा सकता है।

5.3 अंतरराष्ट्रीय संगठन

इस श्रेणी में बहुपक्षीय एजेंसियां जैसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, आईएमएफ, विश्व बैंक आदि शामिल हैं।

उद्देश्य - डेटा, ऊपर दिए गए पैराग्राफ 4.2 में वर्णित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध गैर-संवेदनशील डेटा के अलावा, लिखित अनुरोध पर और डोसेल में उचित अनुमोदन प्रक्रिया के बाद संगठनों के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए साझा किया जा सकता है। किसी भी एजेंसी द्वारा डेटा को अन्य एजेंसियों को साझा करना, जिन्होंने डोसेल से डेटा प्राप्त किया है, केवल डोसेल से पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ किया जा सकता है।

5.4 अनुसंधान संगठन/शोधकर्ता (एनजीओ, व्यक्ति, आदि)

यह श्रेणी भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) आदि जैसे अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों से अनुरोधों को कवर करेगी। इस तरह के संगठनों से अनुरोध केवल गैर-संवेदनशील डेटा के लिए किया जाएगा। यदि डोसेल इस तरह के डेटा को प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो गैर-प्रकटीकरण समझौते जैसे संवेदनशील डेटा साझा करने के लिए सभी शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा, इस तरह के अनुरोधों को प्राथमिकता वर्ग के तहत लंबित अनुरोधों से निपटने के बाद ही लिया जाएगा।

उद्देश्य - ऊपर दिए गए पैराग्राफ 4.2 में उल्लिखित डेटा को अनुसंधान के संचालन और रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से साझा किया जा सकता है। इस डेटा से उत्पन्न किसी भी आउटपुट को डेटा के स्रोत को अनिवार्य रूप से डोसेल के रूप में उल्लेख करना चाहिए। आउटपुट रिपोर्ट में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि डेटा के आधार पर लिया गया कोई भी निष्कर्ष अनुसंधान संगठन/शोधकर्ता का है और सरकार का नहीं। डेटा का अनुरोध करने और प्राप्त करने वाली कोई भी इकाई इसका उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वाणिज्यिक लाभ के लिए नहीं करेगी। इकाई आगे यह सुनिश्चित करेगी कि डेटा किसी भी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया जाता है, जिसमें उसके सहयोगी या सहायक संगठन शामिल हैं, भले ही उनके उपयोग के उद्देश्य के बावजूद।

उपयोगकर्ताओं की श्रेणी	सेंसिटिव डाटा	नॉन सेंसिटिव डाटा
एमएचआरडी और सहयोगी विभाग	✓ **	✓
केंद्र सरकार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार और सरकारी स्वायत्त संगठन	✓ **	✓
बहुपक्षीय संगठन	X	✓
अन्य संगठन/व्यक्तिगत शोधकर्ता	X	✓

** मामला दर मामला आधार

6. अनुरोध श्रेणीकरण और डेटा शेयरिंग के तौर तरीके

6.1 अनुरोध श्रेणीकरण

6.1.1 आवधिक डाटा

यह श्रेणी बल्क डेटा साझाकरण सहित एक परिभाषित आवृत्ति पर सहमत संरचित स्वरूपों में बदले जाने के लिए आवश्यक डेटा से संबंधित होगी। इस श्रेणी के तहत डेटा प्राप्त करने वाले संगठनों को एक गैर-प्रकटीकरण समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी जो डेटा के इस विनिमय को नियंत्रित करेगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें एक नोडल अधिकारी और एक वैकल्पिक नोडल अधिकारी को नामित करना आवश्यक होगा जो डेटा ट्रांसमिशन और उसी से संबंधित संचार के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति होगा। इस डेटा का एक उदाहरण अनुलग्नक - घ: नमूना स्कूल रिपोर्ट कार्ड में दिया गया है।

6.1.2 वास्तविक समय डेटा

इस श्रेणी के तहत, डेटा को वास्तविक समय के आधार पर/सिंक्रनाइज़ तरीके से साझा करना आवश्यक होगा।

6.1.3 तदर्थ डेटा अनुरोध

इस श्रेणी के तहत, डेटा उसी के लिए एक विशिष्ट अनुरोध के आधार पर साझा किया जाएगा। यह उन अनुरोधों को कवर करता है जो एक विशिष्ट इकाई के लिए सीमित मात्रा में डेटा चाहते हैं और यह एक संगठनात्मक आवश्यकता, एक जांच या किसी विशेष योजना से संबंधित है।

6.2 डाटा शेयरिंग तौर तरीके

डेटा केवल सिस्टम में उपलब्ध डेटा संरचना स्वरूपों (छवियों, सीएसवी, पीडीएफ, आदि) में साझा किया जाएगा। डोसेल द्वारा कोई अनुवाद या डेटा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, डेटा को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक तंत्र के माध्यम से या कुछ बाहरी मीडिया के साथ बहुत ही दुर्लभ स्थिति में आदान-प्रदान किया जाएगा। नियत समय में, चाहे व्यक्तिगत हो या सर्वर स्तर पर यह डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से डोसेल का विनियम प्रयास सुरक्षित करेगा।

6.2.1 एपीआई आधारित विनिमय

इस श्रेणी के तहत, विभिन्न आंतरिक और बाहरी अनुप्रयोगों में डेटा की वास्तविक समय तक पहुंच को व्यवस्थित करने के लिए एपीआई सेवाओं को विकसित किया जा सकता है। डेटा अनुरोधकर्ता (बाहरी/आंतरिक एजेंसियां) एपीआई आधारित डेटा एक्सचेंज से पहले गैर-

प्रकटीकरण समझौते में आएगी। इस श्रेणी के भीतर, इस सेवा की आवश्यकता वाली एजेंसियों के लिए यूडाइज जैसी सेवा (api.udise.gov.in) के रूप में प्रमाणीकरण सेवाओं को सक्षम करने के लिए एपीआई आधारित प्रमाणीकरण तंत्र भी बनाया जाएगा।

6.2.2 वेब-फ़ॉर्म प्रस्तुत करना

इस डेटा शेयरिंग मोडैलिटी के तहत, अनुरोध केवल टेम्प्लेट में जमा किए गए वेब-फॉर्म, डेटा अनुरोध, उद्देश्य, संपर्क विवरण आदि को कवर करके किया जाएगा। यह टेम्प्लेट यूडाइज+ वेबसाइट (udiseplus.gov.in) पर उपलब्ध होगा। फॉर्म जमा करने के दौरान, अनुरोधकर्ता को गैर-प्रकटीकरण खंड से सहमति देने के लिए कहा जाएगा। एक बार फॉर्म जमा करने के बाद, आवश्यक डेटा को लॉगिन करने और डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स के साथ अनुरोधकर्ता को प्रदान किया जाएगा।

6.2.3 ईमेल के माध्यम से विनिमय

अनुरोधकर्ता गैर-प्रकटीकरण समझौते की सहमति देते हुए ईमेल आईडी के साथ अनुरोध टेम्पलेट के माध्यम से डेटा की आवश्यकता को प्रस्तुत करेगा। आवश्यक डेटा के साथ ईमेल आईडी पर एक स्वचालित मेल चालू हो जाएगा। केवल दुर्लभ उदाहरणों में, ईमेल पर डेटा अनुरोध के जवाब में, अनुरोधकर्ता के आधिकारिक ई-मेल पर डेटा प्रदान किया जाएगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि प्राप्त ई-मेल एक उचित डोमेन से नहीं आया है या एक दुर्भावनापूर्ण ई-मेल के रूप में पाया गया है, तो डोसेल के पास ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें तृतीय पक्ष ऑडिटर्स और/या कानूनी उपाय द्वारा आवश्यकतानुसार फोरेंसिक जांच शामिल है। यदि दुर्भावनापूर्ण इरादा स्थापित किया गया है, तो डोसेल अपने विवेक से उक्त इकाई को कोई और डेटा प्रदान नहीं करने का विकल्प चुन सकता है।

6.2.4 बाहरी उपकरणों के माध्यम से विनिमय

डेटा को सिस्टम संगत और सुरक्षित बाहरी उपकरणों पर भी साझा किया जा सकता है। यह केस टू केस आधार पर होगा। केवल दुर्लभ उदाहरणों में, बाहरी उपकरणों पर डेटा प्रदान किया जाएगा ।

6.3 डेटा शेयरिंग मैट्रिक्स

डेटा साझाकरण डेटा डेटा वर्गीकरण और डेटा वॉल्यूम पर निर्भर करेगा।

	एपीआई आधारित विनिमय	वेब-फ़ॉर्म सबमिट करना	ईमेल के माध्यम से विनिमय	बाहरी उपकरणों के माध्यम से विनिमय
आवधिक डेटा (बल्क डेटा)		☐	☐	☐
रियल टाइम डेटा	☐			
तदर्थ डेटा		☐	☐	☐

7. नियम व शर्तें

7.1 डेटा स्टोरेज और रिटेंशन

इस नीति के तहत स्कूल व साक्षरता विभाग द्वारा दिया गया संवेदनशील डाटा सुरक्षित प्रणाली पर भंडारित किया जाएगा जिससे पहुंच केवल प्राधिकृत कर्मियों तक सीमित होगी। डाटा उस उद्देश्य के लिए तब तक रखा जाएगा जब तक ज़रूरी हो और बाद में सुरक्शित ढंग से हटा दिया जाएगा। इस डाटा के प्रकटीकरण से उत्पन्न कोई/समस्त देयता अनुरोधकर्ता संगठन की होगी।

7.2 पारस्परिक खंड

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से सूचना/डाटा मांगने वाली सरकारी एजेंसियों, शोध संगठनो आदि को उनके द्वारा धारित और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा मांगी गई सूचना साझा करनी होगी। साथ ही, डाटा मांगने वाले संगठन के लिए साझा की गई सूचना से उत्पन्न निष्कर्ष/परिणामों को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ वापस साझा करना अनिवार्य होगा।

7.3 डेटा निरूपण खंड

रिपोर्ट प्रकाशित करते समय अनुरोधकर्ता संगठन/व्यक्ति स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि "***निष्कर्ष उनके द्वारा किए गए विश्लेषण पर आधारित हैं और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की इन परिणामों में कोई भूमिका नही है।*** "साथ ही परिणामों पर टिप्पणी करते समय महत्वहीन कथन का प्रयोग करने से बचने का परामर्श दिया जाता है

7.4 डाटा मौद्रिकीकरण खंड

डाटा शेयरिंग के प्रकार, आवृत्ति, आवश्यक डेटा की मात्रा आदि के आधार पर, समझौते पर हस्ताक्षर करने के दौरान यह तय किया जाएगा कि क्या स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले वित्तीय निहितार्थ (डेटा साझा करने पर शुल्क) प्रस्तुत करना चाहेगा।

7.5 अपवाद खंड

इस नीति के तहत एसईएल विभाग से डाटा प्राप्त करने वाला कोई भी संगठन/संस्था के पास इस डाटा के आधार पर संगठन/संस्था द्वारा की गई किसी भी सहभागी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली सभी कानूनी देयताओं को धारण करता है।

डाटा प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि डाटा में निहित जानकारी जिसे एसईएल विभाग द्वारा गोपनीय रखना निर्दिष्ट हो अथवा पारस्परिक रूप से एसईएल विभाग के साथ गोपनीय बनाये रखने की सहमति प्रदान की गई हो और प्राप्तकर्ता विश्वास को बनाए रखता है या पक्षों द्वारा आशयित को छोड़कर किसी भी अनधिकृत व्यक्तियों को प्रकट या प्रेषित नहीं की गई है अधिकृत होने पर, इस तरह की गोपनीय सूचनाओं का आगे प्रेक्षण उसकी गोपनीयता की मात्रा के अधीन होगा।

साझा किए गए डाटा को सार्वजनिक डोमेन में होने पर उस सीमा तक उसे गोपनीय नहीं माना जाएगा। एसईएल विभाग और प्राप्तकर्ता डेटा की सुरक्षा के संबंध में एक विशिष्ट प्रकार जैसे विधि द्वारा अनुमेय कूट किए जाने की पद्धति के उपयोग पर सहमत हो सकते हैं।

एसईएल विभाग की वैधानिक प्रतिरक्षा और सरकारी उपयोगकर्ताओं के रूप में डाटा के गैर वाणिज्यिक उपयोग, हस्तांतरण से संबंधी घोषणाओं को **संलग्नक ड.** पर दिया गया है और गैर चिन्हित/बेनामी थोक डाटा के उपयोग के लिए निजी उपयोगकर्ताओं से आवश्यक प्रमाण पत्र को **संलग्नक च** पर दिया गया है।

7.6 सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 1(2) में व्यवस्था है कि यह पूरे भारत में विस्तारित होगा और इस अधिनियम में दिए गए अनुसार सुरक्षित करेगा, यह किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होता है ”। इसी प्रकार, धारा 75 इस प्रकार है:

> यह अधिनियम भारत के बाहर किए गए अपराध या उल्लंघन - (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के प्रावधान भारत के बाहर अपराध या उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति पर उसकी राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना भी लागू होंगे, (2) उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ, यह अधिनियम किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध या उल्लंघन पर लागू होगा यदि अधिनियम या अपराध करने वाले आचरण में शामिल कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क भारत में स्थापित हो सूचना प्रौद्योगिकी नियम के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि निकाय कॉर्पोरेट भारत के भीतर या बाहर किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्ति को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा हस्तांतरित कर सकता है, बशर्ते कि हस्तांतरण उसी स्तर के डेटा संरक्षण को सुनिश्चित करता है जो आईटी नियमद्वारा अपेक्षित हों। डेटा स्थानांतरण की अनुमति तभी है जब यदि ऐसा करना डेटा नियंत्रक और डेटा विषयों के बीच एक वैध अनुबंध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है; या डेटा विषय हस्तांतरण की अनुमति देते हो। इसके अलावा, भारत के बाहर निजी डेटा के हस्तांतरण पर प्रतिबंध के संबंध में कुछ प्रतिबंध आगामी व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल, 2020 के अध्याय VII के तहत शामिल किए गए हैं।

7.8 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में **धारा 79** (1) में लागू किसी काि‍कानून में समाविष्ट नहीं होने के बावजूद, लेकिन उप धाराओं (2) और (3) के अध्यधीन लेकिन उप-वर्गों (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन, एक मध्यस्थ किसी तीसरे पक्ष जानकारी, डेटा, या संचार उपलब्ध लिंक अथवा धारित जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

7.9 **यदि इस नीति के तहत किसी मौजूदा कानून या भविष्य में लागू किसी कानून के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होने पर भविष्य में अधिनियमित कानून के प्रावधान लागू होंगे।**

8 शास्ति और क्षतिपूर्ति

जहां तक इस नीति के कतिपय नियमों और शर्तों के उल्लंघन हेतु दंड का संबंध है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेयटी) जो इस संबंध में भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है उसके द्वारा अधिनियमित अधिनियमों के प्रावधानों का संबंध है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रासंगिक प्रावधान और तत्समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान भी लागू होंगे।

जहां तक इस नीति के कतिपय नियमों और शर्तों के उल्लंघन के अपराधों का संबंध है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेयटी) जो इस संबंध में भारत सरकार का नोडल मंत्रालय हैं उसके द्वारा अधिनियमित अधिनियमों के प्रावधान, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रासंगिक प्रावधान और तत्समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान भी लागू होंगे।

9 सरकारी कार्यों में कॉपी राइट की शर्तें

चूंकि यह नीति सरकारी कामकाज से संबंधित , इसलिए इसका पहला कॉपीराइट सरकार के पास है, शेष कॉपीराइट भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 28 के अनुसार होंगे।

10. संलग्नक

10.1 संलग्नक क संस्थाओं के साथ एसईएल विभाग का आईटी कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल

क्र.सं.	पैरामीटर	पद्धति
1	कनेक्टिविटी	• किसी भी अंतरराष्ट्रीय साझेदार को उत्पादन सर्वर के लिए कोई सीधा संपर्क नहीं दिया जाएगा। • विशिष्ट अनुमतियों के साथ निर्दिष्ट निर्देशिकाओं (पृथक इनबाउंड और आउटबाउंड) में फाइलों को रखने के माध्यम से संदेश का आदान-प्रदान किया जाएगा।
2	नेटवर्क	संचार स्थापित करने के लिए डिफ़ॉल्ट पद्धति साइट-टू-साइट एसएसएल वीपीएन होगी।
3	कनेक्टिविटी	केवल घोषितआईपी पते वाली प्राधिकृत उपकरणों/मैक पते वाले अधिकृत उपकरणों को ही अनुमति दी जाएगी
4	स्थैतिक आईपी	केवल निर्दिष्ट पोर्ट को संचार की अनुमति दी जाएगी।
5	पता	• केवल निर्दिष्ट पोर्ट को संचार कीअनुमति दी जाएगी • टीएसीएसीएस/सएचएपी
6	आने वाले डेटा के लिए नेटवर्क पोर्ट	आईएसएकेएमपी (इंटरनेट सुरक्षा एसोसिएशन और प्रमुख प्रबंधन प्रोटोकॉल); एईएस; एएस 2; एसएचए
7	प्रमाणीकरण	टेक्स्ट फाइल और एक्सटीएमएल प्रारूप
8	एन्क्रिप्शन	• प्रत्येक संव्यवहार हेतु केवल एक फाइल की अनुमति होगी। • ऐसी फ़ाइल का अधिकतम स्वीकार्य आकार 10केबीहोगा
9	फाइल का प्रकार	विनिमय की जाने वाली फाइलों की सत्यनिष्ठा की जांच करने के लिए हैशिंग का उपयोग किया जाएगा –एसएचए
10	अधिकतम फ़ाइल आकार	आईटी सिस्टम से जुड़ी एक एजेंसी अपने भंडारण और अभिलेखीय सहित डेटा के गैर प्रकटीकरण और/या स्वीकार्य उपयोग के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौता करेंगी।
11	हैश फंकशन	प्रत्येक लेनदेन और उपयोगकर्ता गतिविधि के लिए ऑडिट लॉस बनाया जाएगा। ये तृतीय पक्ष ऑडिट के अधीन हो सकते हैं।
12	गैर-प्रकटीकरण और या स्वीकार्य उपयोग समझौता	ऐसे उपकरण जो लॉगिंग या फोरेंसिक ट्रेल्स को स्थापित नहीं करते (विंसकैप तक सीमित नहीं) का उपयोग किसी भी पार्टी द्वारा नहीं किया जाएगा।

संचार सर्वर: एसईएल विभाग अपने संचार सर्वर से संबंधित पृथक इनबाउंड और आउटबाउंड निर्देशिका बनाएगा; एसईएल विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भागीदार को भेजी जाने वाली फाइलों को आउटबाउंड निर्देशिका में रखी जाएंगी।

डेटा शुद्धिकरण/ अभिलेखीयकरण: एक बार एसईलएल विभाग के आईटी सिस्टम्स से किसी फाइल को इनबाउंड डायरेक्टरी से सफलतापूर्वक लेने के बाद, उसे 7 दिनों के भीतर स्वीकार्य समय सीमा के भीतर शुद्ध किया जाएगा।

संचार चैनल: यह महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष संचार की स्पष्ट सीमाओं को बनाए रखें और इस उद्देश्य के लिए, दोनों पक्ष एक-दूसरे को संपर्क अधिकारी का संपर्क विवरण जिसमें आपातकालीन संपर्क विवरण शामिल हैं, प्रदान करेंगे। नियोजित और गैनियोजित डाउनटाइम के इंस्टेंस के बारे में एक दूसरे पक्ष को सूचित किया जाएगा।

इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल: दोनों पक्ष एक दूसरे को घुसपैठ, हमले, या डेटा के दुरुपयोग के बारे में सूचित करेंगे। सुरक्षा उल्लंघन के मामले में, दोनों पक्ष अपनी घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय करेंगे।

परिवर्तन प्रबंधन

एसईएल विभाग की आईटी सुरक्षा नीति और प्रक्रियाओं के किसी भी अपडेट की स्थिति में, डेटा विनिमय प्रोटोकॉल में संबंधित साझेदार को अद्यतन सूचित किया जाएगा । इसके बाद, अद्यतन प्रोटोकॉल को एसईएल विभाग और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के बीच डेटा विनिमय के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में देखा जाएगा।

डेटा विनियम बंद करना

क. **नियोजित विच्छेदन:** यदि डेटा विनिमय बंद कर दिया जाता है, तो अन्य पक्ष लिखित रूप में दूसरे पक्ष को सूचित करेगा, और यह बदले में उसके लिए एक स्वीकृति प्राप्त करेगा। हालांकि इस प्रकार का वियोग का कारण/विवरण होना चाहिए और वियोग के लिए समय प्रदान करना चाहिए।

ख. **आपातकालीन विच्छेदन:** यदि एक या दोनों पक्ष को किसी अतिक्रमण या किसी अन्य आकस्मिकता का पता चलता है जिससे आईटी सिस्टम या डाटा खतरे में है, तो दूसरे पक्ष को पूर्व लिखित सूचना प्रदान किए बिना डेटा विनिमय को समाप्त किया जा सकता है। हालाँकि, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसके बाद दूसरे पक्ष को जल्द से जल्द सूचित किया जाएगा।

10.2 संलग्नक ख : गोपनीय या गैर-प्रकटीकरण समझौते

गोपनीय जानकारी की रक्षा करने के लिए विधिक शर्तों का इस्तेमाल करते हुए गैर-प्रकटीकरण समझौतों की आवश्यकता होती है। गोपनीय या गैर-प्रकटीकरण समझौते बाहरी पक्षों या विभाग के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। तत्वों का चयन या अन्य पक्ष के प्रकार और इसकी अनुमति या गोपनीय जानकारी को संभालने के प्रकार को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। गोपनीयता या गैर-प्रकटीकरण समझौतों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए:

1. सुरक्षित की जाने वाली जानकारी की परिभाषा (अर्थात गोपनीय जानकारी) ;
2. आईपीआर और कॉपीराइट उल्लंघन न किया जाना सुनिश्चित करना।
3. समझौते की अपेक्षित अवधि, ऐसे मामलों सहित जहां अनिश्चित काल तक गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है;;
4. किसी समझौते के समाप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही;;
5. अनधिकृत सूचना के प्रकटीकरणस से बचने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं के दायित्व और कार्य;
6. सूचना, व्यापार रहस्य और बौद्धिक संपदा का स्वामित्व, और यह गोपनीय जानकारी के संरक्षण से कैसे संबंधित है;
7. गोपनीय सूचना का अनुमत उपयोग और सूचना उपयोग संबंधी हस्ताक्षरकर्ता के अधिकार;
8. गोपनीय जानकारी से संबंधित गतिविधियों की ऑडिट और निगरानी का अधिकार;
9. अनधिकृत प्रकटीकरण या गोपनीय सूचना सम्पर्क की अधिसूचना और रिपोर्टिंग प्रक्रिया;
10. सूचना लौटाये जाने की शर्तें अथवा समझौता समाप्त किया जाना
11. समझौते के उल्लंघन के मामले में अपेक्षित कार्रवाई.

10.4 संलग्नक घ: (i) सैम्पल स्कूल रिपोर्ट कार्ड (अरबन)

यूडाइज कोड	----------------	स्कूल का नाम	--------------------------------	पीएसईयूडीओ कोड	**123456789**
राज्य	दिल्ली	जिला	साउथ वेस्ट	ब्लॉक	------------------------
ग्रामीण/शहरी	2-अरबन	क्लस्टर	--		
वार्ड	---------------------	मौहल्ला		पिनकोड	110022
पंचायत	एनए	सिटी	साउथ वेस्ट दिल्ली सिटी	नगरपालिक	साउथ डीएमसी
Assemble Const	44-आर.के.पुरम	संसदीय क्षेत्र			

स्कूल वर्ग	3 – प्रा. के साथ उच्च प्रा. और उच्च माध्यमिक	अनुदेश का माध्यम		स्कूल का दौरा के लिए/के साथ	
स्कूल प्रबंधन	5- निजी अनएडेड (पहचान)	माध्यम 1	19-अंग्रेज	एकेडमिक दौरा	0
स्कूल टाइप	3-को-एजुकेशनल	माध्यम 2		सीआरसी कॉओरडिनेटर	4
निम्नतम और उच्चतर कक्षा	0 – 12	माध्यम 3		ब्लॉक लेवल ऑफिसर	0
उच्च प्राइमरी	1-हां	माध्यम 4		राज्य/जिला अधिकारी	1

स्थापना वर्ष	1972	क्या यह एक शिफ्ट स्कूल है?	2-नहीं	आंगनवाड़ी में परिसर	2-नहीं
मान्यता का वर्ष -प्राइमरी.	1974	भवन स्थिति	1-निजी	आंगनबाडी लडके	0
मान्यता का वर्ष –उच्च प्राइमरी.	1976	बाउन्ड्री वाल	1-पुका	आंगनबाडी लडकियां	0
मान्यता का वर्ष –माध्यमिक	1976	ब्लॉक भवनों की संख्या	21	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	एनए
मान्यता का वर्ष –उच्चतर माध्यमिक	1979	पुक्का भवन ब्लॉक	17	आवासीय स्कूल	2-नहीं
		सीडब्ल्यूएस के लिए विशेष स्कूल?	2-नहीं	आवासीय टाईप	
संबद्धता बोर्ड –माध्यमिक	1-सीबीएसई	रैंप की उपलब्धता	1-हां	अल्पसंख्यक स्कूल	2-नहीं
संबद्धता बोर्ड-उच्चतर माध्यमिक	1-सीबीएसई	हैंड्रिल्स की उपलब्धता	1-हां	ऑल वेदर रोड द्वारा स्वीकृत	1-हां

प्रसाधन	लडकें	लडिकियां	कुल कक्षा कक्ष	192	पेयजल की उपलब्धता	1-हां
कुल	78	80	अन्य कक्ष	66	पेयजल कार्य	हां
कार्यात्मक	72	74	उपलब्ध लाइब्रेरी	1-हां	बारिश के पानी का संग्रहण	2-नहीं
अनुकूल कार्यात्मक सीडब्ल्यूएसएन	6	6	हैडमास्टर के लिए अलग से कक्ष	1-हां	उपलब्ध खेल का मैदान	1-हां
मूत्रालय	78	80	कुल कक्षा कक्ष		फर्नीचर की उपलब्धता	7181
टॉयलेट के पास हैंडवाश		1-हां	अच्छी स्थिति में	192	बिजली की उपलब्धता	1-हां
भोजन के लिए हैंडवाश संकाय		1-हां	हल्की मरम्मत की आवश्यकता	0	सोलन पैनल	1-हां
			ज्यादा मरम्मत की आवश्यकता	0	मेडिकल चैकअप	1-हां

डिजिटल सुविधाएं (कार्यात्मक)						**छात्रों को प्राप्त सं. (डीसीएफ 5.1 , 5.2)**	प्राइमरी	उच्च. प्राइमरी
आईसीटी लैब	1-हां	इंटरनेट	1-हां	डेस्कटाप	150	फ्री टेक्सट बुक	0	0
लैपटॉप	15	टैबलेट	0	प्रिंटर	99	ट्रांसपोर्ट	0	0
प्रोजेक्टर	15	डीटीएच	1-हां	डिजीबोर्ड	75	फ्री यूनिफार्म	0	0

आरटीई सूचना और प्रबंधन						**आरटीई सूचना**	प्राइमरी	उच्च. प्रा.	माध्यमिक	उच्च. माध्यमिक
मौजूद एसएमसी	1-हां	एसएमसी और एसएमडीसी सेम	2-नहीं	एसएमडीसी का गठन	2-नहीं	अनुदेशात्मक दिन	222	222	222	222
प्राप्त टेक्सट बुक्स	1-हां	विशेष प्रशिक्षण		प्रशिक्षण के लिए सामग्री	1-हां	स्कॉलर छात्रों का औसत.	5.3	6.4	6.4	6.4
समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनुदान विवरण (डीसीएफ एसआई. नहीं. **8.3**)						स्कॉलर शिक्षकों का औसत.	6.0	6.4	6.4	6.4
प्राप्त अनुदान	0.0	अनुदान व्यय	0.0			सीसीई	1-हां	1-हां	1-हां	1-हां

आरटई अधिनियम की धारा 12 के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त और चिन्हित श्रेणी के स्कूलों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या (डीसीएफ क्र. सं. 1.42(क)

उच्च-प्राइमरी		कक्षा I		कक्षा II		कक्षा III		कक्षा IV		कक्षा V		कक्षा VI		कक्षा VII		कक्षा VIII	
बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी
110	82	69	37	59	49	65	42	68	38	69	39	66	41	31	17	20	14

स्कूलों में नामांकित आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) छात्रों की कुल संख्या (डीसीएफ क्र. सं. 1.42(ख)

उच्च-प्राइमरी		कक्षा I		कक्षा II		कक्षा III		कक्षा IV		कक्षा V		कक्षा VI		कक्षा VII		कक्षा VIII		कक्षा IX		कक्षा X		कक्षा XI		कक्षा XII	
बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	11	7	2	20	5	16	14

शिक्षक

टाट कक्षाएं				कुल	**375**		
1-प्राइमरी	131	2-उच्च. प्राइमरी.	51	नियुक्ति की प्रकृति		लिंग	
3-प्रा. और उच्च. प्राइमरी	0	5-माध्यमिक केवल	40	नियमित	347	पुरूष	55
6-उच्च. माध्यमिक केवल	107	7-प्राइमरी और माध्यमिक तक	0	पार्ट-टाइम	0	महिला	320
8-माध्यमिक और उच्च. माध्यमिक	0	10- उच्च. प्राइमरी केवल	46	अनुबंध	28	ट्रांसजेंडर	0
11-प्री.- प्राइममरी और प्राइमरी	0			**शैक्षिक योग्यता**			
55 से ऊपर आयु वाले शिक्षक			46	स्नातक से नीचे	15	स्नातक	98
प्राप्त सेवा प्रशिक्षक शिक्षकों की कुल संख्या			0	पोस्ट ग्रेजुएट और ऊपर			262
गैर-प्रशिक्षण असाइनमेंट में शामिल कुल शिक्षक			0	कम्प्यूटर में प्रशिक्षित कुल शिक्षक			58

व्यावसायिक योग्यता के साथ शिक्षक			
बुनियादी शिक्षकों के प्रशिक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र	6	प्रारंभिक शिक्षा के स्नातक (बी.ई.एड.)	23
बी.एड. और समतुल्य	274	एम.एड. और समतुल्य	23
अन्य	31	कोई नहीं	0
डिप्लोमा/विशेष शिक्षा में डिग्री	18	किसी भी प्रासंगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का पीछा	0

स्कूल रिपोर्ट कार्ड

(as on ……………………)

नामांकन

नामांकन	प्री-प्राइमरी		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		**Total**		
	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	सभी
सामान्य	331	383	222	174	200	170	198	190	221	174	215	176	226	202	244	182	227	204	344	266	267	237	461	393	471	379	**3627**	**3130**	**6757**
एससी	29	12	13	2	21	17	22	10	17	7	10	7	3	3	3	1	4	2	5	1	1	6	2	1	9	10	**139**	**79**	**218**

एसटी	2	1	1			2	1		1		2	2	2		1			3	1			2	5	5	4	7	**20**	**22**	**42**
ओबीसी	12	12	5	5	12	7	3	3	8	1	6	5	3	1	3	1	1		1	1	7	2	27	10	17	10	**105**	**58**	**163**
कुल	374	408	241	181	233	196	224	203	247	182	233	190	234	206	251	184	232	209	351	268	275	247	495	409	501	406	**3891**	**3289**	**7180**
कुल योग	**782**		**422**		**429**		**427**		**429**		**423**		**440**		**435**		**441**		**619**		**522**		**904**		**907**		**7180**		**7180**
अल्पसंख्यक विवरण																													
मुस्लिम	15	11	13	7	8	10	9	11	16	7	11	6	11	9	10	9	6	7	17	12	11	6	18	12	13	12	**158**	**119**	**277**
क्रिश्चन	4	4	3	1	1	2	6		2	1	1	1	2		5		2	4	3	1	3	3	4	4	3	1	**39**	**22**	**61**
सिख	11	22	11	12	11	13	11	4	8	6	7	7	15	17	8	10	11	5	14	18	19	10	16	11	15	13	**157**	**148**	**305**
बुद्दिष्ट						1					1	1	1				1	1				1	2	1	1	1	**6**	**6**	**12**
पारसी																													
जैन	5	1		2		1	1					1			1					1	2			2	3	2	**12**	**10**	**22**
अन्य																													
कुल	35	38	27	22	20	27	27	15	26	14	20	16	29	26	24	19	20	17	34	32	35	20	40	30	35	29	**372**	**305**	**677**
कुल योग	**73**		**49**		**47**		**42**		**40**		**36**		**55**		**43**		**37**		**66**		**55**		**70**		**64**			**677**	**677**
आधार	280	278	148	105	147	140	149	131	173	124	168	136	182	176	118	90	63	48	346	262	272	245	493	406	492	395	**3031**	**2536**	**5567**
बीपीएल																													
अपराधी			1		1	1													13	8			8	4	2		**25**	**13**	**38**
सीडब्ल्यूएसएन	4		4	1	2	2	1	2	3	2	3		9	3	5	1	3	6	6	3	10	4	5	3	6	3	**61**	**30**	**91**

वर्तमान शैक्षिक सत्र में ग्रेडवार नामांकन (पूर्ण किये गये वर्षों में आयु)

कक्षाएं	उच्च-प्राइमरी		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		कुल		
एजीई	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	सभी
<5																													
5																													
6			222	177																							**222**	**177**	**399**
7			18	4	211	166																					**229**	**170**	**399**
8			1		18	26	187	179	1																		**207**	**205**	**412**
9					4	4	35	21	195	159		2															**234**	**186**	**420**
10							1	3	48	22	198	172		1													**247**	**198**	**445**
11							1		2	1	33	16	219	199													**255**	**216**	**471**
12									1		2		13	6	236	175	2										**254**	**181**	**435**
13													2		15	9	184	171	1	3							**202**	**183**	**385**
14																	43	35	243	199	3						**289**	**234**	**523**
15																	3	3	95	61	162	148	12	8			**272**	**220**	**492**
16																			10	4	108	99	267	233	8	10	**393**	**346**	**739**
17																			1	1	2		203	161	295	211	**501**	**373**	**874**
18																							12	7	183	180	**195**	**187**	**382**
19																			1				1		13	5	**15**	**5**	**20**
20																									2		**2**		**2**
21																													
22																													
>22																													
कुल	**374**	**408**	**241**	**181**	**233**	**196**	**224**	**203**	**247**	**182**	**233**	**190**	**234**	**206**	**251**	**184**	**232**	**209**	**351**	**268**	**275**	**247**	**495**	**409**	**501**	**406**	**3891**	**3289**	**7180**

स्रोत :यूडाइज + 2018-19

http://udiseplus.gov.in/FIND YOUR SCHOOL

खंडन

यद्यपि इस वेबसाइट **http://udiseplus.gov.in/**पर दिए गए कंटेंट की सटीकता और प्रचलन को सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए हैं, तथापि इन्हें विधिक दस्तावेज नहीं माना जाना चाहिए या इसका किसी कानूनी प्रयोजन से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी संशय या संदेह के मामले में, उपयोगकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे समुचित सरकारी कार्यकारियों/प्राधिकारियों और /या अन्य स्रोतों से इसकी (पुष्टि) सत्यापन/ जांच करें और समुचित प्रोफेशनल से सलाह प्राप्त करें।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (यथासंशोधित अधिनियम 2008) की धारा 79 के अनुसार, यह रिपोर्ट संदर्भ वर्ष (30 सितंबर- संदर्भ तारीख) में उन स्कूलों द्वारा जिनके पास सक्रिय यू-डाइज+कोड है, उसका प्रयोग कर विशेष रूप से तैयार किए डाटा संकलन फॉर्मेट(डीसीएफ) में स्वैच्छिक तौर पर अपलोड की गई है। स्कूल का यू-डाइज+कोड उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है जहां स्कूल स्थित है, अतः डीसीएफ में भरे गए डाटा का उत्तरदायित्व संबंधित नोडल अधिकारी अर्थात स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य/हेडमास्टर/हेडटीचर/वरिष्ठतय अध्यापक, क्लस्टरस्तर परक्लस्टर संसाधन अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा के एसपीडीका है। अतः, एमएचआरडी के डाटा और दस्तावेज में दिए गए सूचकांक संबंधित भूल चूक के लिए कोईजिम्मेदारी याजवाबदेही नहीं है।

http://udiseplus.gov.inपोर्टल किसी सूची या पोर्टल से निकाली गई किसी रिपोर्ट में स्कूल के नाम का शामिल होना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उस स्कूल को दी गई मान्यता पुष्टि नहीं करता है।

10.4 संल्गनक : घ (ii) सेम्पल स्कूल रिपोर्ट (ग्रामीण)

यूडाइज कोड		**स्कूल का नाम**		**पीएसईयूडीओ कोड**	**426789643**
राज्य	हरियाणा	जिला	पानीपत	ब्लॉक	
ग्रामीण /शहरी	1-ग्रामीण	क्लस्टर			
गांव		निवास		पिनकोड	132103
पंचायत	पानीपत-ग्रामीण	नगर	एनए	नगर पालिका	एनए
विधानसभा	पानीपत-ग्रामीण	विधानसभा			

स्कूल श्रेणी	5 - उच्च. प्राथमिक. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक	**निर्देश का माध्यम**		**स्कूल का दौरा के लिए /के साथ**	
स्कूल प्रबंधन	1-शिक्षा विभाग	माध्यम 1	04-हिन्दी	एकेडमिक दौरा	10
स्कूल वर्ग	3-को-एजुकेशनल	माध्यम 2	19-अंग्रेजी	सीआरसी समन्वयक	6
निम्न एवं उच्च कक्षा	6 - 12	माध्यम 3		ब्लॉक स्तर अधिकारी	6
उच्च प्राथमिक		माध्यम 4		राज्य/जिला अधिकारी	4

स्थापना का वर्ष	1968	क्या यह शिफ्ट स्कूल है?	2-नहीं	आंगनवाड़ी में परिसर	एनए
मान्यता का वर्ष-प्राथमिक		भवन की स्थिति	3-सरकारी	आंगनवाड़ी लड़के	0
मान्यता का वर्ष-उच्च प्राथमिक		चाहरदीवारी	1-पुक्का	आंगनवाड़ी लड़कियां	0

मान्यता का वर्ष-माध्यमिक	1968	नंबर बिल्डिंग ब्लॉक	1	आंगनवाड़ी कर्मचारी	एनए
मान्यता का वर्ष-उच्च माध्यमिक	1968	पक्का भवन ब्लॉक	1	आवासीय विद्यालय	2-नहीं
		सीडब्ल्यूएसएन के लिए स्पेशल स्कूल है?	2-नहीं	आवासीय प्रकार	
एफिलिएशन बोर्ड-मा.	2-राज्य बोर्ड	रैंप की उपलब्धता	1-हां	अल्पसंख्यक स्कूल	2-नहीं
एफिलिएशन बोर्ड-उच्च. मा.	2-राज्य बोर्ड	हैंड्रिल की उपलब्धता	2-नहीं	ऑल वेदर रोड द्वारा स्वीकृत	1-हां

प्रसाधन	लडके	लडकी	कुल कक्षाकक्ष	12	उपलब्ध पीने का पानी	1-हां
कुल	5	8	अच्छी स्थिति में	6	पेयजल कार्य	हां
कार्यात्मक	1	8	आवश्यकता है मामूली मरम्मत	6	बारिश के पानी का संग्रहण	2-नहीं
कार्यात्मक सीडब्ल्यूएसएन के अनुकूल	0	0	ज्यादा मरम्मत की आवश्यकता	0	खेल का मैदान उपलब्ध	2-नहीं
मूत्र	1	8			फर्नीचर की उपलब्धता	304
टॉयलेट के पास हैंडवाश		1-हां	अन्य कक्ष	7	बिजली की उपलब्धता	1-हां
खाने के लिए हैंडवाश संकाय़		1-हां	लाइब्रेरी की उपलब्धता	1-हां	सोलन पैनल	1-हां
			एचएम के लिए अलग से कक्ष	1-हां	मेडिकल चैकअप	1-हां

डिजिटल संकाय (कार्यात्मक)					
आईसीटी लैब	1-हां	इंटरनेट	2-नहीं	डेस्कटोप	1
लैपटॉप	0	टैबलेट	0	प्रिंटर	1
प्रोजेक्टर	1	डीटीएच	2-नहीं	डिजिबोर्ड	0

प्राप्त विद्यार्थियों की सं. (डीसीएप 5.1 , 5.2)	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
फ्री टेकस्ट बुक्स	0	297
ट्रांसपोर्ट	0	0
फ्री यूनिफॉर्म	0	0

आरटीई सूचना और प्रबंधन					
मौजूद एसएमसी	1-हां	एसएमसीएवंएसएमडीसी वही	2-नहीं	एमएमडीसी का गठन	1-हां
प्राप्त टेकस्ट बुक्स	1-हां	विशेष ट्रैनिंग		ट्रैनिंग के लिए सामग्री	1-हां
समग्र शिक्षा के तहत अनुदान विवरण (डीसीएफ एसआई. नहीं. 8.3)					
प्राप्त अनुदान	59575.0	अनुमोदित व्यय	57845.0		

आरटीई सूचना	प्रा.	उच्च. प्रा.	मा.	उच्च मा.
अनुदेशात्मक दिन	0	241	241	241
बच्चों के औसत स्कूल घंटे	0.0	6.3	6.3	6.3
शिक्षकों के औसत स्कूल घंटे	0.0	7.0	7.0	7.0
सीसीई		1-हां	1-हां	1-हां

आरटई अधिनियम की धारा 12 के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त और चिन्हित श्रेणी के स्कूलों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या (डीसीएफ क्र. सं. 1.42(क)

उच्च. प्रा.		कक्षा I		कक्षा II		कक्षा III		कक्षा IV		कक्षा V		कक्षा VI		कक्षा VII		कक्षा VIII	
बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

स्कूलों में नामांकित आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) छात्रों की कुल संख्या (डीसीएफ क्र. सं. 1.42(ख)

उच्च.प्रा.		कक्षा I		कक्षा II		कक्षा III		कक्षा IV		कक्षा V		कक्षा VI		कक्षा VII		कक्षा VIII		कक्षा IX		कक्षा X		कक्षा XI		कक्षा XII	
बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शिक्षक

ठाट कक्षाएं			
1-प्राथमिक	0	2-अपर प्राइमरी	8
3-प्री एंड उच्च.प्राइमरी	0	5-माध्यमिक केवल	0
6-उच्च मा. केवल	0	7-उच्च. प्रा. और मा.	4
8-माध्यमिक और उच्च. माध्यमिक	6	10- उच्च प्राथमिक केवल	0
11-प्री- प्राइमरी एंड प्राइमरी	0		
55 से अधिक उम्र वाले शिक्षक	1		
प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुल शिक्षकों की संख्या	2		
गैर-प्रशिक्षक असाइंमेट में शामिल कुल शिक्षक	7		

कुल	**18**		
नियुक्ति की प्रकृति		**लिंग**	
रेगुलर	12	पुरूष	11
पार्ट-टाइम	0	महिला	7
कॉन्टेक्ट	6	ट्रांसजेंडर	0
शैक्षिक योग्यता			
स्नातक से नीचे	1	स्नातक	5
पोस्ट ग्रेजुएट और ऊपर	12		
कम्प्यूटर में प्रशिक्षिक कुल शिक्षक	0		

व्यावसायिक योग्यता के साथ शिक्षक			
बुनियादी शिक्षकों के प्रशिक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र	0	प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.ई.ई.डी.)	0
बी.एड. और समतुल्य	16	एम.एड. और समतुल्य	0
अन्य	0	नहीं	0
डिप्लोमा/विशेष शिक्षा में डिग्री	2	किसी भी प्रासंगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का पीछा	0

नामांकन																													नोट :नामांकन = नामांकन, सा. =सा.सकल योग = कुल योग
ना.	उच्च.प्रा		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		कुल		
	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	**बी**	**जी**	**सभी**
सा.													5	3	6	3	3	3	8	9	6	7	9		7	2	**44**	**27**	**71**
एससी													7	10	8	8	8	11	7	16	18	12	5	5	7	5	**60**	**67**	**127**
एससी																													
ओबीसी													28	35	38	36	35	34	39	33	46	25	13	15	9	5	**208**	**183**	**391**
कुल													40	48	52	47	46	48	54	58	70	44	27	20	23	12	**312**	**277**	**589**
सकल योग													**88**		**99**		**94**		**112**		**114**		**47**		**35**		**589**		**589**

अल्पसंख्यक विवरण																													**नोट : मु. =मुस्लिम, क्रि. = क्रिश्चन, बु. =बुद्धिष्ट ,आ. =आधार , अप. =अपराधी**
मु.													17	11	13	14	18	15	27	10	12	8	10	2	4		**101**	**60**	**161**
क्रि.																													
सिख													2	1			1				1						**4**	**1**	**5**
बुद्धि.																													
पारसी																													
जैन																													
अन्य																													
कुल													19	12	13	14	19	15	27	10	13	8	10	2	4		**105**	**61**	**166**
सकल योग													**31**		**27**		**34**		**37**		**21**		**12**		**4**		**166**		**166**
आधार													40	48	52	47	46	48	54	58	70	44	27	20	18	12	**307**	**277**	**584**
बीपीएल																				4			1		2		**3**	**4**	**7**
अपराधी													1						5	4	27	6					**33**	**10**	**43**
सीडब्ल्यूएसएन														2	3	1	1	1									**4**	**4**	**8**

वर्तमान शैक्षिक सत्र में ग्रेडवार नामांकन (पूर्ण किये गये वर्षों में आयु)																													
कक्षा	उच्च प्रा.		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		कुल		
आयु	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	**बी**	**जी**	**सभी**
<5																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9													3														**3**		**3**
10													11	12		3											**11**	**15**	**26**
11													10	24	1	20	9	5									**20**	**49**	**69**
12													10	8	4	14	13	11	1	5							**28**	**38**	**66**
13													3	3	22	9	8	16	13	1	5	3					**51**	**32**	**83**
14													2	1	13	1	7	11	24	20	15	20		4			**61**	**57**	**118**
15															6		3	3	10	26	27	11	10	5	4	1	**60**	**46**	**106**
16															2		4	2	2	6	11	4	5	8	4	4	**28**	**24**	**52**
17													1		4		1		2		5	5	3	3	9	5	**25**	**13**	**38**
18																	1		2		5	1	6		4		**18**	**1**	**19**
19																					2		3		1	2	**6**	**2**	**8**
20																									1		**1**		**1**
21																													
22																													
>22																													
कुल	**0**	**0**											**40**	**48**	**52**	**47**	**46**	**48**	**54**	**58**	**70**	**44**	**27**	**20**	**23**	**12**	**312**	**277**	**589**

स्रोत :यूडाइज+ 2018-19
http://udiseplus.gov.in/ FIND YOUR SCHOOL

खंडन

यद्यपि इस वेबसाइट **http://udiseplus.gov.in/**पर दिए गए कंटेंट क सटीकता और प्रचलन को सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए हैं, तथापि इन्हें विधिक दस्तावेज नहीं माना जाना चाहिए या इसका किसी कानूनी प्रयोजन से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।किसी संशय या संदेह के मामले में, उपयोगकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे समुचित सरकारी कार्यकारियों/प्राधिकारियों और /या अन्य स्रोतों से इसकी (पुष्टि) सत्यापन/ जांच करें और समुचित प्रोफेशनल से सलाह प्राप्त करें।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (यथासंशोधित अधिनियम 2008) की धारा 79 के अनुसार, यह रिपोर्ट संदर्भ वर्ष (30 सितंबर- संदर्भ तारीख) में उन स्कूलों द्वारा जिनके पास सक्रिय यू-डाइज+कोड है, उसका प्रयोग कर विशेष रूप से तैयार किए डाटा संकलन फॉर्मेट (डीसीएफ) में स्वैच्छिक तौर पर अपलोड की गई है। स्कूल का यू-डाइज+कोड उस राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाता हैजहां स्कूल स्थित है, अतः डीसीएफ में भरे गए डाटा का उत्तरदायित्व संबंधित नोडल अधिकारी अर्थात स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य / उप-प्रधानाचार्य/ हेडमास्टर / हेडटीचर/वरिष्ठतय अध्यापक, क्लस्टरस्तर परक्लस्टर संसाधन अधिकारी,ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा के एसपीडीका है। अतः, शिक्षा मंत्रालय के डाटा और दस्तावेज में दिए गए सूचकांक संबंधित भूल चूक के लिए कोई जिम्मेदारी याजवाबदेही नहीं है।

http://udiseplus.gov.inपोर्टल किसी सूची या पोर्टल से निकाली गई किसी रिपोर्ट में स्कूल के नाम का शामिल होना शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उस स्कूल को दी गई मान्यता पुष्टि नहीं करता है।

10.5 संलग्नक- ङ: सरकारी उपयोगकर्ताओं की ओर से डाटा प्राइवेसी संबंधी प्रमाण पत्र (उपयोगकर्ता, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग /एसपीडी / राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों के शिक्षा विभाग)

मैं ________________________, सरकार का नाम ________________ मंत्रालय _________________, विभाग _________, में ____________ दिनांक _____ से नियमित कर्मचारी के पद पर __________ मेरे विभाग __________ द्वारा दिए गए कार्य का निर्वहन कर रहा हूं और एतद्द्वारा शपथ लेता हूं कि मैं निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करूंगा:-

(i) सक्षम प्राधिकारी __________________ ने संवेदनशील डाटा की प्राप्ति के लिए अनुमोदन दे दिया है और अनुमोदन की प्राप्ति संलग्न है।

(ii) इससे प्राप्त डाटा का प्रयोग केवल वेद कार्यों और विभाग द्वारा शॉप पर गए कार्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(iii) कर्मचारी द्वारा विभाग के हितों की रक्षा के लिए सभी कार्यों और साधनों के माध्यम से गुप्त डाटा की गोपनीयता और विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी।

(iv) डाटा के अर्थपूर्ण अनुमान और सही परिणाम प्राप्त करने के लिए डाटा का उसकी परिमितता एवं प्रकृति के सही मूल्यांकन के साथ-साथ उसकी अवधारणा, प्रयोजन और प्रासंगिकता को समझने के बाद उपयोग किया जाएगा।

(v) इस प्रकार से प्राप्त डाटा का किसी अन्य डाटा उपयोगकर्ता के साथ लाभ या बिना लाभ के उसके पूर्ण किसी अंश को साझा नहीं किया जाएगा या डाटा का किसी वाणिज्यिक या गैर - वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजन के लिए प्रसार नहीं किया जाएगा।

(vi) मैं ------------- डाटा उपयोगकर्ता) विभाग द्वारा निर्धारित डाटा की गोपनीयता संबंधी मांगों का रखरखाव करने के लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करूंगा।

(vii) मैं ------------- डाटा उपयोगकर्ता) किसी व्यक्ति के साथ निजी लॉग-इन ब्योरे, प्रोटेक्टिव पासवर्ड और डाटा कीज को साझा नहीं करूंगा।

(viii) मैं ------------- डाटा उपयोगकर्ता) सभी आशय और प्रयोजनों के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के हितों और कल्याण की हमेशा रक्षा करूंगा।

दिनांक: अधिकारी कर्मचारी का विवरण

स्थान:

हस्ताक्षर

प्रति हस्तांतरित**:**

प्राधिकृत अधिकारी:

(कम से कम निदेशक /संस्था प्रमुख स्तर का अधिकारी)

हस्ताक्षर

10.6 संलग्नक-च: गुप्त डाटा के उपयुक्त और कानूनी उपयोग पर प्राइवेट व्यक्तियों, शोधकर्ताओं एनजीओ, कंपनियों, शोध फाउंडेशनों आदि से प्रमाण पत्र।

यू-डाइज और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अन्य वेब प्लेटफॉर्मों पर अपलोड की गई सूचना के उपयोग के उद्देश्य से उपयोगकर्ताओं एतद्वारा निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने की घोषणा करता है:-

(i) डाटा का उपयोगकर्ता डाटा शेयरिंग नीति को पढ़ने और समझने की घोषणा करता है और समय-समय पर संशोधित इसकी सभी विद्यमान सामग्री और आशय का पालन करने के लिए सहमत है।

(ii) इससे प्राप्त डेटा का उपयोग पूर्णतया वैध उद्देश्य के लिए किया जाएगा और डेटा की गोपनीयता का ध्यान उपयोगकर्ता द्वारा बनाए रखा जाएगा।

(iii) डेटा का उपयोग डाटा की अवधारणाओं , उद्देश्य और प्रयोज्यता को समझने के साथ-साथ डाटा की सीमाओं और प्रकृति की उचित अनुशंसा और उचित अनुमान और वैध परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

(iv) इस प्रकार से प्राप्त डाटा का किसी अन्य डाटा उपयोगकर्ता के साथ लाभ या बिना लाभ के उसके पूर्ण किसी अंश को साझा नहीं किया जाएगा या डाटा का किसी वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजन के लिए प्रसार नहीं किया जाएगा।

(v) डाटा उपयोगकर्ता सभी आशय और उद्देश्यों के लिए डाटा के स्रोत की पुष्टि करता है।

(vi) डाटा उपयोगकर्ता डी–आईडेंटिफाइड/ एनोनिमस वैयक्तिक डाटा की पुनः पहचान या प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करेगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:
व्यवसाय:
स्थान:

11. संदर्भ

- नेशनल डाटा शेयरिंग एक्सेसबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएसी) https://data.gov.in/sites/default/files/NDSAP.pdf
- डीएसटी वेबसाइट https://dst.gov.in/sites/default/files/nsdi_gazette_0.pdf
- एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू डाइज) वेबसाइट http://udiseplus.gov.in/
- शिक्षा मंत्रालय वेबसाइट https://mhrd.gov.in/
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वेबसाइट Ministryhttps://www.meity.gov.in/acts-and-rules

एनआईसी
National
Informatics
Centre

द्वारा निर्मित:

स्कूल शिक्षा सूचना प्रभाग, राष्ट्रीय सूचना केंद्र,
इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

के लिए निर्मित:

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार